संख्या-214/2026/91/22-2-2024-17(106)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर पुत्र श्री श्यौप्रसाद, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7-/सीमित/(एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर पुत्र श्री श्यौप्रसाद, ढकई, थाना-नारखी, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी सुधीर कुमार के अनुसार घटना दिनांक 11.05.2015 को उसके भाई मनोज की पत्नी (जो गूगी और बहरी है) शाम को गाँव ढकई के पास खेतों में शौच के लिये जाते समय बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसे पकड़कर उसके हाथ बाँधकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। पीड़िता ने उनके चुगंल से निकलकर घटना की जानकारी इशारों में बतायी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-506/2015 भा0द0वि0 की धारा-376डी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1, फिरोजाबाद दिनांक-28.10.2020 द्वारा 20 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-20.07.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष 01 माह, 25 दिन तथा 08 वर्ष, 09 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी सुधीर कुमार के अनुसार घटना दिनांक 11.05.2015 को उसके भाई मनोज की पत्नी (जो गूगी और बहरी हैं) शाम को गाँव ढकई के पास खेतों में शौच के लिये जाते समय बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसे पकड़कर उसके हाथ बाँधकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। पीड़िता ने उनके चुगंल से निकलकर घटना की जानकारी इशारों में बतायी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर पुत्र श्यौप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर (बन्दी संख्या-18817) पुत्र श्री श्यौप्रसाद, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-214/2026/91(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-214/2026/91/22-2-2024-17(106)/2024

दिनांक 18 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर पुत्र श्री श्यौप्रसाद, ढकई, थाना-नारखी, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी सुधीर कुमार के अनुसार घटना दिनांक 11.05.2015 को उसके भाई मनोज की पत्नी (जो गूगी और बहरी है) शाम को गाँव ढकई के पास खेतों में शौच के लिये जाते समय बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसे पकड़कर उसके हाथ बाँधकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। पीड़िता ने उनके चुगंल से निकलकर घटना की जानकारी इशारों में बतायी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-506/2015 भा0द0वि0 की धारा-376डी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1, फिरोजाबाद दिनांक-28.10.2020 द्वारा 20 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-20.07.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष 01 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 09 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी सुधीर कुमार के अनुसार घटना दिनांक 11.05.2015 को उसके भाई मनोज की पत्नी (जो गूगी और बहरी हैं) शाम को गाँव ढकई के पास खेतों में शौच के लिये जाते समय बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसे पकड़कर उसके हाथ बाँधकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। पीड़िता ने उनके चुगंल से निकलकर घटना की जानकारी इशारों में बतायी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कल्लू उर्फ प्रेमवीर उर्फ हरवीर पुत्र श्यौप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in